Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding creation of a Munsif Court in Kanpur district -laid.

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा रही है कि न्यायपालिका का विकेन्द्रीकरण करके जनमानस को सुलभ एवं त्वरित न्याय नजदीकतम उपलब्ध हो । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से देश के विभिन्न राज्यों की अनेक तहसीलों से मुंसिफ न्यायालयों की स्थापना हो भी चुकी है ।

लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ.प्र.) के अन्तर्गत तहसील बिल्हौर, जो एक अति प्राचीन एवं बड़ी तहसील है और जो जिलाधिकारी, कानपुर नगर के अधीन है,इसमें लगभग 409 राजस्व ग्राम एवं नगर पंचायत तथा एक नगरपालिका परिसर व 4थाने हैं । मुख्यालय तहसील बिल्हौर की दूरी जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से लगभग 60 कि.मी. तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से लगभग 110 कि.मी. तकतहसील सुदूर सीमा जनपद मुख्यालय कानपुर नगर से 75 कि.मी. और जनपद मुख्यालय कानपुर देहात से 125 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा जनपद मुख्यालय कानपुर देहात जाने हेतु सुलभ यातायात साधनों की अत्यधिक कमी है । जिस कारणवादकारियों को अपने घर से 6 से 8 घण्टे का समय लगता है । इस प्रकार अत्यधिक दूरी एवं यातायात साधनों की किल्लतों की वजह से गरीब वादकारी अपेक्षित न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों एवं सभ्य समाज तथा उच्चतम न्यायालय की मंशा के भी विपरीत है । तहसील मुख्यालय परिसर बिल्हौर मेंन्यायालय की स्थापना हेतु पर्याप्त एवं उचित स्थल उपलब्ध है और उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिल्हौर तहसील के आसपास नई एवं क्षेत्रफल में अपेक्षाकृत छोटी तहसीलों में सिविल न्यायालय (मुंसिफ न्यायालय) की स्थापना भी हो चुकी है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक मे तहसील मुख्यालय बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर (उ.प्र.) में अपेक्षित सस्ता एवं

सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करके इसको पुनः कानपुर नगर के न्यायिक क्षेत्र से ही सम्बद किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए ।